

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215349 CG-DL-E-11012020-215349

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ((ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/ PAUSHA 17, 1941

No. 99]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

का.आ. 107(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा का.आ. 435 (अ), तारीख 14 फरवरी 2017 (जिसे इसके इस अधिसूचना के पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास को पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन (ईएसजेड) अधिसूचित किया और उक्त ज़ोन में कुछ प्रतिबंध लगाए;

और, उक्त अधिसूचना में संशोधन के लिए राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसरण में, तारीख 13 दिसंबर, 2018 के पत्र द्वारा, पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की विशेषज्ञ समिति ने तारीख 3 जून 2019 को आयोजित 35वीं बैठक के दौरान अधिसूचना में संशोधन की सिफारिश की;

और, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में सूचना देने की अपेक्षा से छूट दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)

139 GI/2010 (1)

के खंडों (v) और (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-


- (i) पैरा 1 में, "28.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र", शब्दों और अंकों के स्थान पर "29.8 वर्ग किलोमीटर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) उपाबंध II के स्थान पर, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध रखा जाएगा;
- (iii) उपाबंध III में, सारणी में, क्रम संख्या 17, 18, 19 और 20 क्रमशः क्रम संख्या 19, 20, 21 और 22 के रूप में पुनः सख्यांकी किया जायेगा और इस प्रकार पुनः सख्यांकी क्रम संख्या 19, 20, 21 और 22 से पहले, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"क्र.सं .	जी पी एस	देशांतर	अक्षांश
17	ई <i>16/1</i>	<i>73º39.534</i> 'प्	<i>24º 35.449</i> 'पू
18	ई 16/2	<i>73º39.341</i> 'पू	<i>24º 35.812'</i> पू <i>".</i>

[फा. सं. 25/34/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी: मूल अधिसूचना (ii) संख्याक- का.आ. 435(अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

उपाबंध-II सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर, राजस्थान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक



[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 107(E).—WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 435(E), dated the 14th February 2017 (hereinafter in this notification referred to as the said notification), the Central Government notified an Eco-Sensitive Zone (ESZ) surrounding the Sajjangarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan and imposed few restrictions in the said Zone;

AND WHEREAS, pursuant to the State Government's request seeking amendment in the said notification, *vide* letter dated the 13th December, 2018, the Expert Committee on ESZ recommended amendment in the notification during its 35th meeting held on the 3rd June 2019;

AND WHEREAS, the Central Government in public interest dispenses with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely: -

In the said notification,-

- (i) in paragraph 1, for the words and figures "area of 28.7 square kilometers", the words and figures "area of 29.8 square kilometers" shall be substituted;
- (ii) for Annexure II, the Annexure attached with this notification shall be substituted;
- (iii) in Annexure III, in the Table, serial numbers 17, 18, 19 and 20 shall be renumbered as serial numbers 19, 20, 21 and 22 respectively and before the serial numbers 19, 20, 21 and 22 as so renumbered, the following shall be inserted, namely:-

"Sl.No.	GPS	Longitude	Latitude
17	E16/1	73°39.534' E	24°35.449' E
18	E16/2	73°39.341' E	24°35.812′ E".

[F.No. 25/34/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Para II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 435(E), dated the 14th February, 2017.

"Annexure-II Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone of Sajjangarh Wildlife Sanctuary, Udaipur , Rajasthan

